न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010011482025

Misc. Civil Appeal/10/2025

Rishipal Vs. Shailendra

09.12.2025

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित । रेस्पोंडेंटस/ विपक्षीगण की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 09.12.2025 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अपील में रेस्पोटस की ओर से रेपोजेट विरेन्द्र सिंह पैरवी करता रहा है परन्तु दिनांक 10–11–2025 से पूर्व ही रेस्पोंडेंट विरेन्द्र सिंह पीलिये रो ग्रस्त हो गया था. जिस कारण रेस्पोडेंट विरेन्द्र सिंह माननीय न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो सका और ज्ञानाभाव के कारण रेस्पोडेंट विरेन्द्र सिंह अन्य रेस्पोंडेंटस को भी पैरवी हेतु निर्देशित नहीं कर पाया और न ही अपने अधिवक्ता महोदय को ही कोई जानकारी दे सका। रेस्पोडेंटस की ओर से कोई सूचना प्राप्त ना होने तथा अत्याधिक कार्य व्यस्तता एवं अपने पुत्र की शादी की तैयारी की व्यस्तता के कारण भी अधिवक्ता महोदय की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं विया जा सका। रेस्पोडेंटस की ओर से पैरवी ना किये जाने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपील में रेरपोडेंटस को अनुपस्थित मानते हुये दिनांक 10–11–2025 को अपील को एकपक्षीय रूप से रेस्पोडेंटस के विरूद्ध अग्रसारित किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये। रेस्पोडेंट विरेन्द्र सिंह ठीक होकर आज नियत तिथि पर माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ, तो आदेश उपरोक्त की जानकारी हुई। उपरोक्त अपील में रेस्पोडेंटस का अहम हित निहित है। रेस्पोडेंटस उपरोक्त अपील का गुण दोष के आधार पर निस्तारण कराना चाहते हैं। रेस्पोडेंटस ने अपीब में अनुपस्थित रहने तथा पैरवी ना किये जाने की भूल व गलती जानबूझकर नहीं की है, बल्कि जो भी है, यह उपरोक्त परिस्थितियों के तहत है तथा क्षमा होने योग्य है। न्यायहित में उपरोक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2025 को रिकॉल किया जाकर, रेस्पोडेंटस को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा की दशा में रेस्पोडेंटस की अपार हानि व हकतल्फी होगी। अतः उपरोक्त विविध अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2025 को रिकॉल किया जाकर, रेस्पोडेंटस को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार पर करने की

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2025.12.10 11:27:04 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

याचना की गयी है । समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है ।

जिस पर अपीलार्थी की ओर से मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि अपील के निस्तारण को जानबूझकर विलम्बित किया जा रहा है , प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये ।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के माध्यम से विविध अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2025 को रिकॉल किया जाकर, रेस्पोडेंटस को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार पर करने की याचना की गयी है । मामले के गुणदोष पर प्रभावी न्यायनिर्णयन हेतु न्यायहित में रेस्पोंडेंटस/ विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 09.12.2025 स्वीकार किए जाने योग्य है , विलम्ब के कारण हुई क्षति की पूतिपूर्ति अपीलार्थी को हर्जे से कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है ।

<u>आदेश</u>

रेस्पोंडेंटस/ विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 09.12.2025 अंकन 1000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है । तदनुसार विविध अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–2025 अपास्त किया जाता है ।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दि0 19.12.2025 को पेश हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।